| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 04/11/25 | **उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।**<br>R.M.A Case No. -12/2023-24<br>दीनदयाल महतो एवं अन्य बनाम कालाचाँद भंडारी एवं अन्य<br>**आदेश**<br>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के R.E. Case No-35/2014-15 में दिनांक-25.07.2023को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।<br>अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-35/2014-15 में दिनांक-25.07.2023 को पारित आदेश द्वारा कालाचाँद भंडारी द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में द्वितीय पक्ष दीनदयाल महतो एवं अन्य को मौजा-बथानबाड़ी के 29 खाता सं0-31 दाग सं0-386 रकवा-30 डी0 मे से 14 डी0 को छोड़कर शेष 16 डी0 भूमि से उच्छेद किया गया है।<br>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Joint Petition of compromise दाखिल किया गया है। संयुक्त सुलहनामा आवेदन में दाग सं0-386 के रकवा-30 डी0 जमीन का पारस्पारिक बदलैन संलग्न मौजा-मुकुन्दपुर के दाग सं0-3, रकवा-20 डी0 के साथ वर्ष 1952 ई0 को हो चुका है। उक्त दाग सं0-30 डी0 जमीन पर अपीलकर्त्ता द्वारा पक्का-कच्चा मिलाकर 14 कमरों, चहरदीवारी एवं कई पेड़ लगाकर शांतिपूर्वक दखल में है। वर्त्तमान में दोनो के बीच गलत संदेह पर कोई विवाद नहीं है।<br>उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षों के बीच विवादित जमीन के बदलैन के संबंध में कोई वैध कागजात अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उभयपक्ष द्वारा दाखिल संयुक्त सुलहनामा आवेदन के अनुसार निम्न न्यायालय में पारित आदेश पर किसी भी पक्ष का आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है।<br>अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-35/2014-15 में दिनांक-25.07.2023 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।<br>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br>04/11/25<br>उपायुक्त,<br>जामताड़ा।<br><br>04/11/25<br>उपायुक्त,<br>जामताड़ा। | Seen<br>(AAV) 25/11/25 |

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.12.26 12:18:16 +05:30
Location: 192.168.1.106